<u>न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०, फिरोजाबाद।</u>
<u>वाद सं०- 21199/2022</u>
सतेन्द्र पाल सिंह-----बनाम-----श्रीमती मधू आदि।

<u>दिनांक- 01.04.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई भी उपस्थित नहीं। परिवादी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है और न ही कोई प्रार्थनापत्र आदि पेश किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी पक्ष लंबे समय से हाजिर नहीं आ रहा है। परिवादी पक्ष को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली लंच उपरान्त वास्ते सुनवाई पेश हो।

(नगमा खान)
अपर सिविल जज (सी०डि०)/
ए०सी०जे०एम०, फिरोजाबाद।
UP 02445

<u>दिनांक- 01.04.2024</u>

पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई। बार-बार पुकार कराई गई। परिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई प्रार्थनापत्र आदि पेश किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत कई तिथियों से वास्ते साक्ष्य नियत चली आ रही है। परिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। कोई स्थगन प्रार्थनापत्र आदि भी पेश नहीं किये जा रहे हैं, जबकि परिवादी को अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर जो भी कथन किये गये हैं व साक्ष्य उपलब्ध हैं, वह परिवादी की अनुपस्थिति के कारण विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होते हैं और उसके आधार पर विपक्षीगण के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अतः उक्त वाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(नगमा खान)
अपर सिविल जज (सी०डि०)/
ए०सी०जे०एम०, फिरोजाबाद।
UP 02445